

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला अजमेर

क्रमांक - रीडर/20/ 18

दिनांक 22/07/2020

—: आदेश :-

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक राजस्व(ग्रुप-6) विभाग जयपुर के परिपत्र पत्रांक प.3 राज-6/2003/पार्ट जयपुर दिनांक 10.08.2016 के अनुसार चालू स्थाई रास्तों के राजस्व अभिलेख में अंकन की कार्यवाही की जानी है।

उक्त रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131,132 तथा राजस्थान भू-अभिलेख नियम 1957 के नियम 53,59,60,66 एवं 86 के अनुसार तहसीलदार मसूदा द्वारा प्राप्त प्रस्ताव व अनुशंषा अनुसार भूमि नियमानुसार राजस्व रेकार्ड में गै.मु. रास्ता एवं नक्शे में लाल स्याही से अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मसूदा उक्त आदेश के अनुसार पालना सुनिश्चित कर 15 दिवस में मय रेकार्ड की प्रति सहित पालना प्रेषित करे।

पटवार मण्डल :- नन्दवाडा

तहसील :- मसूदा

वर्तमान जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि							नवीन(रास्ता हेतु) प्रविष्टि		
क्र. सं.	पोर्टल क्रमांक	तहसीलदार बिजयनगर के पत्रांक नम्बर मय दिनांक	ग्राम का नाम	खसरा न.	कुल रकबा	किस्म जमीन	खसरा न.	रकबा	किस्म जमीन
1	2020/00145	3461 10.07.2020	नन्दवाडा	21	6.6338 है.	गै.मु. मगरी	21/1	01-12-10.	गै.मु. रास्ता
2	2020/00145	3461 10.07.2020	नन्दवाडा	22	34.9326 है.	गै.मु. मगरी	22/1	02-16-10.	गै.मु. रास्ता
3	2020/00145	3461 10.07.2020	नन्दवाडा	267	3.9965 है.	गै.मु. मगरी	267/1	01-02-00.	गै.मु. रास्ता
4	2020/00145	3461 10.07.2020	नन्दवाडा	269	4.1825 है.	गै.मु. पहाड	269/1	00-17-10.	गै.मु. रास्ता
5	2020/00145	3461 10.07.2020	नन्दवाडा	367	9.1336 है.	गै.मु. पहाड	367/1	00-02-10.	गै.मु. रास्ता
6	2020/00147	3463 10.07.2020	नन्दवाडा	2521/1976	11.8519 है.	गै.मु. पहाड	2521/1976 /1	02-00-00.	गै.मु. रास्ता

नोट:- अवशेष इन्द्राज यथावत रहेंगे।

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
(एस.डी.एम.)मसूदा (अजमेर)

